न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

किस्म मुकदमा : अपील सं0 42/2019 अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट

अनवानः 1. दामोदर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति सुथार निवासी लखोटिया बास नोखामण्डी तहसील नोखा, जिला बीकानेर

बनाम

1. राजश्री देवी पत्नी मनोज कुमार जाति संचेती निवासी नोखामण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर ।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा जिला बीकानेर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	
11.9.19	1—यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 5.7.2019 जिसके द्वारा प्रार्थीया राजश्री देवी (रेस्पोन्डेंट सं01) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 पर ग्राम माडिया तहसील नोखा के खसरा नं0 629 में 0.03 हैक्टेयर व खसरा नं0 632 में 0.11 हैक्टेयर भूमि कम करके नये खसरा नम्बर में लेने के आदेश दिये गये, के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हुई है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने का अनुमति प्रार्थना पत्र एवम् स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में कविटयट कर्ता रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक श्री सत्यनारयण तिवाड़ी द्वारा अपील पेश करने की परमिशन का जवाब प्रार्थना पत्र एवम् साथ ही प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में प्रार्थना पत्रों के साथ दोनों पक्षों की दिनांक 7.8.19 को गुणावगुण पर भी बहस सुनी गयी, जिस पर अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा क्रमशः दिनांक 14.8.19 एवं 20.8.19 को लिखित बहस प्रस्तुत की गयी । प्रकरण में प्रथमतः धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते हैं । 2—धारा 96सीपीसी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम माडिया के खसरा नं0 631 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 652 रकबा 1.00 हैक्टेयर की कुल 1.11 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें अपीलान्ट का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में नक्शे में तरमीम शुदा है। परन्तु रेस्पोन्डेंट द्वारा अपीलान्ट की भूमि की जगह परिवर्तन करके गलत रुप से रास्ते में अंकित करवाली, जिससे अपीलान्ट की भूमि कम हो गई । अपीलान्ट इस मामले में हितबध्द एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु अपील प्रस्तुत करने की परमिशन प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है । अतः अपीलान्ट हितबध्द एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार होने के कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस्टण्डाई हासिल है । इस सम्बन्ध में आरबीजे 2001 पेज 603 एवं 2011(2)आरएलडब्लू (आरजे) पेज 1164 अवलोकनीय बताया । 3—अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ने धारा 96सीपीसी प्रार्थना पत्र के जवाब में बताया है कि वादगत भूमि से अपीलान्ट के कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं, वादगत भूमि पर अपीलान्ट ने कभी काश्त नहीं की है । प्रकरण में अपीलाधीन आदेश से खसरा नं0 632 की तादादी 0.11 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नये खसरा नम्बर लेने के आदेश प्रदान किये गये हैं । अपीलान्ट की भूमि से कोई रकबा कम नहीं किया गया है । अपीलान्ट की भूमि कम नहीं होने से अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबध्द व प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट एग्रीवड नहीं होने से उन्हें नोटिस देकर सुने जाने की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट के प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में मौके की सम्पूर्ण जांच करते हुए आदेश पारित किया गया है । अतः अपीलान्ट का धारा 96सीपीसी का प्रार्थना पत्र लोकस के अभाव में खारिज फरमाया जावे । रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक द्वारा धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र जवाब के साथ प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के किसी भी काश्तकारी अधिकारी अधिकार का हनन नहीं हुआ है । ऐसी अवस्था में अपीलान्ट को अपील पेश करने की लोकस्टण्डाई हासिल नहीं होने से इसी कानूनी आपत्ति पर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे । इस सम्बन्ध में रुलिंग एआईआर 1975 एस.सी. पेज 2093, एआईआर 1976 पेज 122, एआईआर 1989 पेज 133, आरआरडी 1987 पेज 106 एचसी एवं आरआरडी 1975 पेज 172 अवलोकनीय बताया । संभागीय आयुक्त बीकानेर	

4— हमने धारा —96सीपीसी प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत की गयी जमाबन्दी सम्वत 2072 के अनुसार ग्राम माडिया के खसरा नं0 631 की 0.11 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 652 की 1.00 हैक्टेयर कुल 1.11 हैक्टेयर बारानी भूमि अपीलार्थी दामोदरप्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति सुथार साकिन लखोटिया बास नोखा के नाम से जरिये बैयनामा के नामान्तरकरण सं0 649/20.12.17 द्वारा खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । इस प्रकार अपीलान्ट का नाम खातेदारी टीनेन्ट के रुप में अंकित चला आ रहा है । उपखण्ड न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.19 के अनुसार अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 652 में खसरा सं0 631 की भूमि को मौके अनुसार तरमीम करने पर रिकॉर्ड व नक्शे में दुरुस्ति की गयी है । प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 1.7.19 के अनुसार भी वादगत भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है । न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट खसरा नं0 631 व 652 का खातेदार काश्तकार होने से वह पीड़ित एवं हितबध्द पक्षकार होने के कारण उसे अपील प्रस्तुत करने की लोकस्टण्डाई प्राप्त है । अतः अपीलान्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.8.2019 अस्वीकार किया जाता है ।

5— प्रकरण में गुणावगुण अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम माडिया स्थित खेत खसरा नं0 631 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 652 रकबा 1.00 हैक्टेयर, कुल 1.11 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि का रेस्पोन्डेंट सं01 से कोई सम्बन्ध नहीं है और नं ही कोई हक व हिस्सा ही निहित है । अपीलान्ट की उपरोक्त लिखित भूमि में किसी प्रकार का आवागमन एवं सड़क नहीं है । अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के दक्षिण की तरफ खसरा नं0 653 की भूमि रेखादेवी पत्नी सुनील कुमार 1/2 हिस्सा तथा राजश्री पत्नी मनोज कुमार 1/2 हिस्सा भमि है तथा इस भूमि के दक्षिण की तरफ खसरा नं0 1056/963, 1057/963 की कुल 2.5290 हैक्टेयर भूमि मैसर्स नवंकार एन्टरप्राइजेज नोखा प्रोपराइटर सुनील कुमार व मनोज कुमार ब हिस्सा बराबर की भूमि है । इस भूमि में मनोज कुमार व सुनील कुमार द्वारा अवैध कॉलोनी काट कर भू—खण्डों के रुप में विक्रय की जा चुकी है । इस भूमि में सड़के व गलियां काटी हुई है । इसी प्रकार खसरा नं0 653 में भी अवैध कॉलोनी काट कर मुख्य सड़क नोखा सुजानगढ रोड़ से जोड़ने हेतु पुराने खातेदारान की भूमि में काटछांट कर नया रास्ता कायम किया गया है, जबकि नया रास्ता हेतु टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी ।

6— अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कहा कि रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा तहसीलदार नोखा को एक प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 व 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार नोखा को नहीं था । परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश पारित किया तथा पटवारी हल्का द्वारा मौके पर नहीं जाकर मात्र रेस्पोन्डेंट सं01 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट हुबहु अंकित करते हुए दिनाक 1.7.19 को एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार नोखा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो तहसीलदार नोखा द्वारा उसी दिनांक 1.7.19 को धारा 131, 132, 136 में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होने का उल्लेख करते हुए पत्रांक 303 दिनांक 1.7.19 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोखा को रेस्पोन्डेंट सं01 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित कर दिया । प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नोखा ने उसी दिन अर्थात दिनांक 1.7.19 को प्रकरण दर्ज करते हुए बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये, बिना कोई नोटिस दिये और बिना कोई जवाब व सबूत आदि पेश करने का अवसर प्रदान किये पत्रावली दिनांक 1.7.19 को निर्णय में रखदी गयी जबकि नेचुरल जस्टिस सिध्दान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में रुलिंग आरआरडी 1961 पेज 226, आरआरडी 1984 पेज 45,111,156, आरबीजे पेज 188, 568, डब्लू एल.एन (रेवेन्यू) पेज 641 एवं एआईआर 2018 उड़ीसा पेज 110 अवलोकनीय बताया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लगातार ———3

7— अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 631 रकबा 0.11 हैक्टेयर को नक्शे में से हटाकर खसरा नम्बर 652 में अंकित करने का आदेश दिया गया है । पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी कि खसरा 631 की 0.11 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है । परन्तु उपखण्ड न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर गौर किये बिना अपीलान्ट की भूमि को नक्शे में से कम करके खसरा सं0 652 में अंकित करने का आदेश दिया, जिससे अपीलान्ट की भूमि कम हो गयी है । इसी प्रकार खसरा सं0 632 जो राजकीय पशु चिकित्सालय नोखा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित चला आ रहा है तथा खसरा नं0 629 राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका, नोखा के नाम अंकित चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 632 व 629 के खातेदारों को कोई नोटिस दिये बिना ही उनके खाते में से भूमि कम कर दी गयी, जो निरस्त योग्य है ।

8—अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि धारा 131, 132, 136 में नक्शे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ति के प्रावधान दिये गये हैं, जिनमें यह अंकित किया गया है कि पुराने नक्शे एवं पुराने राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत वर्तमान नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में कोई लिपिकीय त्रुटि हो तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है । परन्तु इस मामले में रेस्पोन्डेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में एसा कोई वर्णन अंकित नहीं किया है कि पुराने नक्शे के विपरीत वर्तमान नक्शे में अंकन किये गये हैं और नं ही पुराने राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये गये हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जावे । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन कानूनी महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किये बिना नया रास्ता कायम कर खातेदारी भूमियों को काटकर कम करने का आदेश दिया गया है, जो नियम विरुध्द होने के कारण निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.19 निरस्त फरमाया जावे ।

9— विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा लिखित बहस अनुसार अवगत कराया कि अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 652 व 631 का मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार नक्शा दुरुस्त किया है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट की कोई भूमि कम नहीं की गयी है तथा खसरा नं0 632 की 0.11 हैक्टेयर भूमि को रास्ते के रुप में अंकित किया है, जिससे अपीलाट के किन्हीं अधिकारों का हनन नहीं हुआ है । इसलिए अपीलान्ट आदेश जैर अपील से व्यथित पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने की लोकस्टण्डाई हासिल नहीं है । अपीलान्ट ने अपील में यह आधार लिया है कि अपीलाधीन आदेश पारित किया जाने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया । कानूनन नोटिस उसी व्यक्ति को दिया जाता है, जिसका नाम हटाया गया हो, लेकिन इस प्रकरण में अपीलान्ट का नाम नहीं हटाया गया है, उसका तो राजस्व रिकॉर्ड में वैसे ही है, जैसा आदेश जैर अपील पारित किया जाने से पूर्व था । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने इस सम्बन्ध में आरआरडी 1987 पेज 106 एचसी अवलोकनीय बताया । प्रकरण में अपीलान्ट ने अपील के पैरा में राजश्री व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने खातेदारी खेतों में प्लॉट काटने के तथ्य अंकित करते हुए एक शिकायत कर्ता के रुप में अपील प्रस्तुत की है । कानूनन शिकायत कर्ता को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में आरआरडी 1995 पेज 172 अवोकनीय बताया। अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के नाम खसरा नं0 652 तादादी 1.00 हैक्टेयर व खसरा नं0 631 तादादी 0.11 हैक्टेयर अंकित है, लेकिन खसरा नं0 652 का मौके व नक्शे में क्षेत्रफल 1.11 हैक्टेयर है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खसरा नं0 631 के नक्शे की भूमि पर 40 वर्षो से सार्वजनिक सड़क मौजूद है । जिस पर लोगों का निर्बाध रुप से आवागमन हो रहा है । जिस पर रेस्पोन्डेंट सं01 ने राजस्व रिकॉर्ड को मौके के अनुसार अप टू डेट करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थन्यायालय को प्रेषित कर दिया । जिसके बाद उपखण्ड अधिकारी ने स्वयं मौका देख कर तथा जांच करते हुए खसरा नम्बर 652 व 631 का नक्शा दुरुस्त किया है तथा खसरा नम्बर 632

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

.....4

में से 0.11 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता में अंकित करने का आदेश प्रदान किया है, जो विधि सम्मत है । यह कि उपखण्ड न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.19 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में इन्द्राज किया जा चुका है साथ ही अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील से सम्बन्धित भूमि का पुनः सीमाज्ञान किया जा चुका है, जिसमें अपीलान्ट ने सीमा ज्ञान को सही मानकर उस पर हस्ताक्षर किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट मैरिट लैस होने के कारण खारिज फरमाई जावे ।

10– हमने गुणावगुण पर उभय पक्ष की लिखित बहस एवम् उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 अनुसार ग्राम माडिया तहसील नोखा के खसरा सं0 652 की तादादी 1.00 हैक्टेयर एवं खसरा सं0 631 की तदादी 0.11 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट दामोदर प्रसाद पुत्र राधाकिशन की खातेदारी में दर्ज है । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं01 राजश्री द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 14.6.2019 को तहसीलदार, नोखा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नं0 631 की तादादी 0.11 हैक्टेयर भूमि पर पिछले 39–40 वर्ष से सार्वजनिक सड़क है, जिस पर लोगों का निर्बाध रुप से आवागमन हो रहा है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के नाम दर्ज है । खसरा नं0 652 का नक्शा व मौका अनुसार क्षेत्रफल 1.13 हैक्टेयर से अधिक है । अतः खसरा नं0 631 की तदादी 0.11 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे तथा खसरा नं0 652 का क्षेत्रफल अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा को आदिनांक किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोखा द्वारा पटवारी हल्का को मौका अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 1.7.19 को प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार रिपोर्ट पेश की गयी, जिस पर तहसीलदार नोखा द्वारा पत्रांक 303 दिनांक 1.7.19 द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 631 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज करने की अनुशंषा करते हुए मूल प्रकरण पटवारी हल्का की रिपोर्ट सहित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने पर उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा उसी दिनांक 1.7.19 को प्रकरण दर्ज कर आदेश हेतु दिनांक 5.7.19 की पेशी निर्धारित की गयी एवं उक्त निर्धारित तिथि को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 व राज. भू–अभिलेख नियमावली के नियम 60 व 369 के तहत तहसीलदार नोखा को नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं0 629 में 0.03 हैक्टेयर व खसरा नं0 632 में 0.11 हैक्टेयर भूमि कम करके नये खसरा नम्बर में लेने के आदेश दिये । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.19 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में गुणावगुण पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नप्रकार है :–

I. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में प्रथम आधार यह लिया है कि तहसीलदार नोखा के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार नोखा को नहीं था । परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर नहीं जाकर मात्र रेस्पोन्डेंट सं01 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट हुबहु अंकित करते हुए दिनाक 1.7.19 को एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार नोखा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो तहसीलदार नोखा द्वारा उसी दिनांक 1.7.19 को धारा 131, 132, 136 में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होने का उल्लेख करते हुए पत्रांक 303 दिनांक 1.7.19 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोखा को रेस्पोन्डेंट सं01 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित कर दिया तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसी दिनांक 1.7.19 को पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व करली गयी ?

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय के अनुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.9.1956 के द्वारा धारा 131 मानचित्र एवं फील्ड बुक का संधारण, धारा– 132 वार्षिक रजिस्टरों का संधारण एवं धारा –136 लिपिकीय त्रुटियों की दुरुस्ति की शक्तियां उपखण्ड अधिकारियों को दी गयी है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा धारा 131,132 व 136 के अन्तर्गत खसरा नं0 652 का क्षेत्रफल अनुसार नक्शा दुरुस्त करते हुए खसरा नं0 631 की तादादी 0.11 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में खातेदार से हटाकर गैरमुमकिन रास्ता के रुप में अंकन करने का निवेदन किया गया है । रेस्पोन्डेंट सं01 के उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हेतु तहसीलदार, नोखा को क्षेत्राधिकार नहीं था, परन्तु तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु अनुसार हुबहु रिपोर्ट पेश कर दी गयी, जिसमें मौका रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष दिनांक 1.7.19 को प्रस्तुत की गयी, जिसे तहसीलदार, नोखा द्वारा दिनांक 1.7.19 को ही प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के साथ अपनी अनुशंषा सहित उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रेषित कर दिया तथा उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा उसी दिनांक 1.7.19 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु रिजर्व कर दिया गया । इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में लिये गये प्रथम आधार से हम सहमत हैं ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में द्वितीय आधार यह लिया है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दिनांक 1.7.19 को प्रकरण दर्ज करते हुए बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये, बिना कोई नोटिस दिये और बिना कोई जवाब व सबूत आदि पेश करने का अवसर प्रदान किये, पत्रावली दिनांक 1.7.19 को ही निर्णय में रखदी गयी जबकि नेचुरल जस्टिस सिध्दान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है ?

न्यायालय के अनुसार हम अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा दिनांक 1.7.19 को प्रकरण प्राप्त होने पर उसी दिन दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उसी दिन आदेश हेतु रिजर्व कर लिया गया, एवं दिनांक 5.7.19 को रेस्पोन्डेंट सं01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए धारा 131, 136 एल.आर एक्ट एवं लैण्ड रिकॉर्ड रुल्स,1957 के नियम 60 व नियम 369 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में खसरा सं0 629 में 0.03 हैक्टेयर व खसरा सं0 632 में 0.11 हैक्टेयर भूमि कम करके नया खसरा नम्बर में लेने के आदेश दिये गये हैं तथा प्रार्थी अपीलान्ट की खसरा सं0 631 की 0.11 भूमि कम करके रिकॉर्ड व नक्शे में इकतरफ़ा तौर पर दुरुस्ति की गयी है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में अशुध्दियों के शुध्दिकरण हेतु भू–अभिलेख अधिकारी के लिए निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये हैं :–Provided that when any error is noticed by a Revene Officer in any record of rights during the course of inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties. प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.19 को पारित करने से पूर्व अपीलान्ट जिसकी भूमि राजस्व रिकॉर्ड व पूर्व नक्शा में प्रभावित हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों का उल्लंघन है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

III. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में तृतीय आधार यह लिया है कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 631 रकबा 0.11 हैक्टेयर को नक्शे में से हटाकर खसरा नम्बर 652 में अंकित करने का आदेश दिया गया है । पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी कि खसरा 631 की 0.11 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है । परन्तु उपखण्ड न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर गौर किये बिना अपीलान्ट की भूमि को नक्शे में से कम करके खसरा सं0 652 में अंकित करने का आदेश दिया, जिससे अपीलान्ट की भूमि कम हो गयी है । इसी प्रकार खसरा सं0 632 जो राजकीय पशु चिकित्सालय नोखा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित चला आ रहा है तथा खसरा नं0 629 राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका, नोखा के नाम अंकित चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 632 व 629 के खातेदारों को कोई नोटिस दिये बिना ही उनके खाते में से भूमि कम कर दी गयी, जो निरस्त योग्य है ?

न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट का उक्त आधार आंशिक रुप से स्वीकार योग्य है । प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा अपीलाधीन आदेश से खसरा नं0 631 की 0.11 हैक्टेयर भूमि को हटाकर खसरा सं0 632 का भाग बनाया है, खसरा सं0 629 की 0.03 हैक्टेयर भूमि कम करके नया खसरा नं0 दिया है । जबकि रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र सं0 प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.8.16 जारी किया हुआ है, जिसके अनुसार राजकीय भूमि पर चालू स्थाई रास्ता राजकीय खातेदारी में गैरमुमकिन रास्ता के रुप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा तथा निजि खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा, परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी।

11– उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 पर कार्यवाही हेतु तहसीलदार नोखा को क्षेत्राधिकार नहीं होने, पटवारी हल्का द्वारा मौका अनुसार चिन्हीकरण की कार्यवाही नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार रिपोर्ट दिनांक 1.7.19 प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा पत्र दिनांक 1.7.19 जारी कर उसी दिन उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया जाना एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा दिनांक 1.7.19 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन आदेश हेतु रिजर्व कर प्रभावित एवं हितबध्द पक्षकारान को नोटिस जारी सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों का उल्लंघन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.19 निरस्त किया जाता है साथ ही अपीलाधीन आदेश की पालना में किये गये इन्द्राज भी निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

12–पत्रावली नम्बर से कम होकर निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 11.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर ।